

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1949]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2015/भाद्र 23, 1937

No. 1949]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2015/BHADRA 23, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2015

का.आ. 2486(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 311(अ) तारीख 8 फरवरी, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 10 फरवरी, 2010 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

क. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, तहसील "1 सावनेर" के सामने कालम (5) में,—

प्रविष्टि "(7) जैतपुर" के स्थान पर प्रविष्टि "(7) जैतगड" प्रतिस्थापित की जाएगी।

ख. उक्त प्रस्तावना में प्रविष्टि "विशेष भू-अर्जन अधिकारी, सामान्य, नागपुर" के स्थान पर "उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन सामान्य), नागपुर" रखी जाएगी।

[फा. सं. सीएचडब्ल्यू/29011/5/टोल प्लाजा/3ए/केलवाड/2015]

वी. कृष्णास्वामी, निदेशक

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना का.आ. 311(अ), तारीख 8 फरवरी, 2010, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 10 फरवरी, 2010 में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2015

S.O. 2486 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 311(E) dated the 8th February, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 10th February, 2010 namely:-

(a) In the Schedule to the said notification, against Taluk “1. Saoner”, in column (5),-

For the entry “(7) Jaitpur” the entry “(7) Jaitgad” shall be substituted.

(b) In the Preamble to the said notification for the entry “Special Land Acquisition Officer (General), Nagpur” the entry “Deputy Collector (Land Acquisition General), Nagpur” shall be substituted.

[F.No. CHW/29011/5/Toll Plaza/3a/Kelwad/2015]

V. KRISHNASWAMY, Director

Foot Note: The Principal notification was published vide S.O. 311(E), dated the 8th February, 2010, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 10th February, 2010.